न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला–अनूपगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–अजीत कुमार गोदारा कुमार(आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–14 / 2024
जी.सी.एम.एस.नं.–2022 / 27

सीतोदेवी उम्र–43 वर्ष पत्नी भजनराम जाति बाजीगर निवासी चक–2 केएएम तहसील व जिला अनूपगढ़ (राज.)

——— **वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

————**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–24 / 07 / 2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–1 केएएम (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–31 पत्थर नम्बर सं.–244 / 473 का किला नं.–3 / 3, 4, 5, 6, / 2, 7 / 2, 8 / 3 का कुल भूमि 1.0130 हैक्टर नहरी / बारानी खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि खातेदारी वादी व वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। वादी का सही वा वास्तविक नाम सीतोदेवी पत्नी भजनराम है लेकिन उसका घरेलू नाम सीतादेवी पत्नी भजनराम होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों सीतोदेवी व सीतादेवी के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सीतादेवी पत्नी भजनराम के नाम से ही दर्ज हुआ है। जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम सीतोदेवी पत्नी भजनराम है। वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड जिनकी प्रतियॉ संलग्न वाद पत्र है में वादी का नाम सीतोदवी पत्नी भजनराम ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम सीतादेवी से पुकारते थे इसलिए वादी का नाम सीतादेवी दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम सीतोदेवी ही है इस प्रकार सीतादेवी व सीतोदेवी वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नही था अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका यानि सीतोदवी का नाम दर्ज नही है। बल्कि [illegible] दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम सीतो[illegible] है [illegible] घर पर उसे उसके घरेलू नाम सीतादेवी के नाम से बुलाते है ओर सी[illegible] व सीतादवी द[illegible]म मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के [illegible] कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उप[illegible] हुआ तो उन्होंने कहा [illegible] सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम सीतोदवी पत्नी भजनराम है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उसका घरेलू नाम सीतादेवी पत्नी भजनराम दर्ज हो गया है जो एक सद्भाविक एवं माननीय भूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:05 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

है वादी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योकि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम गलत रूप से सीतादेवी दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम सीतोदेवी पत्नी भजनराम दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे सहवन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम सीतोदेवी पत्नी भजनराम के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक–1 केएएम–बी का मुरब्बा नं.–31 पत्थर सं.–244/473 के किला नं.–3/3, 4, 5, 6/2, 7/2, 8/3 का कुल भूमि 1.0130 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि खातेदार कषि भूमि में वादी सीतादेवी पत्नी भजनराम जाति बाजीगर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक–1 केएएम–बी अन्य मोतबिरान व्यक्तियो से कि गयी जानकारी अनुसार वादी का सही नाम सीतोदेवी पत्नी भजनराम ही बताया गया, एवं राजस्व दर्ज नाम सीतादेवी पत्नी भजनराम को सही कर सीतोदेवी पत्नी भजनराम किया जाना उचित बताया गया। रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट कमाकः–भू.अ./2024/2381 दिनांक–22 जूलाई 2024 आधार पर वादी का नाम सीतादेवी पत्नी भजनराम के स्थान पर सीतादेवी उर्फ सीतोदेवी पत्नी भजनराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि वाके चक–1 केएएम (बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–31 पत्थर सं.–244/473 का किला नं.–3/3, 4, 5, 6/2, 7/2, 8/3 का कुल भूमि 1.0130 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम सीतादेवी के स्थान पर सीतादेवी उर्फ सीतोदेवी का अंकन किया जावे।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज **दिनांक 24.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:05 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़